संख्या-125/2019/1242/22-2-2018-17(78)/2009टी0सी0

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाली पुत्र श्री जालम, निवासी जनपद-ललितपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25473/प्रोबे0अनु0(2)-199/सला0समिति/(एम 09-07-2018) दिनांक 17-07-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाली पुत्र श्री जालम, निवासी बिरघा, थाना-तालबेहट हालथाना-पूरा कलां, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। मृतक व बन्दी के परिवार के बीच गांव में मुकदमें का विवाद चल रहा था। दिनांक 26-08-1986 को दोपहर लगभग 12:00 बजे मनोहर अपने खेत जा रहा था। बन्दी ने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बल्लम, कुल्हाड़ी व लाठियों से मार-पीट कर घायल कर दिया। तत्पश्चात मनोहर के पिता पन्ना लाल पर हमला कर हत्या कर दी तथा लौटते समय रास्ते में अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर प्रकाश शाहू की हत्या कर दो व्यक्तियों को घायल कर दिया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09/1987 में भा0द0वि0 की धारा-147, 323, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 31.05.1988 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.12.1988 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.04.2018 तक 28 वर्ष 01 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 55 वर्ष 05 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 03.04.2018 तक बन्दी की आयु 52 वर्ष लगभग है। पुलिस अधीक्षक की आख्या में बन्दी के लड़कों द्वारा गॉव में अपराध घटित किया गया है, लड़को के साथ मिलकर बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने व कराने की प्रबल संभावना होने का उल्लेख करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया। मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत दिनांक 18.09.2017 में उक्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट राय नहीं दी गयी है। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा 02 व्यक्तियों की हत्या किये जाने व अन्य 02 व्यक्तियों को घायल करने का अपराध कारित किया गया है। बन्दी की उम्र-52 वर्ष लगभग है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने, पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट राय न दिये जाने व बन्दी द्वारा किये गये अपराध की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गंभीरता एवं जघन्यता आदि के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बाली पुत्र श्री जालम को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी बाली (बन्दी संख्या-16620) पुत्र श्री जालम, निवासी जनपद-ललितपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-125/2019/1242(1)/22-2-2018 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।